न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 67/2026

श्री दर्शित शर्मा निवासी भैरू चौक बालाजी मेन मार्केट, राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 02.06.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 11.05.2026 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :—

सेवा में, लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक जिला विषय Bisalpur Conservation Reserve क्षेत्र में प्रस्तावित Hanging Bridge निर्माण से वन्यजीवों, जंगल एवं पर्यावरण को संभावित नुकसान तथा राजमहल बोटूदा क्षेत्र में वैकल्पिक निर्माण संबंधी सूचना हेतु RTI आवेदन। महोदय, निवेदन है कि Bisalpur Conservation Reserve क्षेत्र वन्यजीवों, पक्षियों एवं प्राकृतिक पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील संरक्षण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में प्रस्तावित Hanging Bridge निर्माण से जंगल, वन्यजीवों के प्राकृतिक आवागमन एवं पर्यावरणीय संतुलन को गंभीर नुकसान होने की आशंका है। साथ ही राजमहल बोटूंदा क्षेत्र में बरसात के समय पानी आने की समस्या को देखते हुए यदि पुल निर्माण आवश्यक है, तो उसे संवेदनशील जंगल क्षेत्र के स्थान पर राजमहल एवं बोटूदा के बीच बनाया जाना अधिक उपयुक्त एवं जनहितकारी प्रतीत होता है। अत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न सूचनाएँ उपलब्ध कराने की कृपा करें— क्या Benalpur Conservation Reserve क्षेत्र में Hanging Bridge निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत अथवा विचाराधीन है। प्रस्तावित Hanging Bridge का सटीक स्थान, नक्शा एवं DPR (Detailed Project Report) की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई जाए। परियोजना को स्वीकृति देने वाला विभाग एवं अधिकारी कौन है। क्या परियोजना हेतु जिला प्रशासन से अनुमति जारी की गई है। यदि हाँ, उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई जाए। क्या वन विभाग एवं वन्यजीव विभाग से NOC प्राप्त की गई है? क्या परियोजना हेतु Environmental Clearance एवं Wildlife Clearance जारी की गई है? क्या Wildlife Impact Assessment कराया गया है? यदि हाँ, उसकी प्रति उपलब्ध करवाई जाए। क्या Environmental Impact Assessment (EIA) कराया गया है? यदि हाँ, उसकी रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जाए। वर्तमान में उक्त क्षेत्र में कौन कौन से संरक्षित वन्यजीव एवं पक्षी पाए जाते हैं? क्या विभाग द्वारा यह अध्ययन किया गया है कि Hanging Bridge निर्माण से वन्यजीवों के प्राकृतिक आवागमन एवं आवास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या परियोजना शुरू होने से पूर्व कोई जनसुनवाई आयोजित की गई थी? यदि हाँ, उसकी कार्यवाही रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जाए। क्या स्थानीय ग्रामीणों अथवा पर्यावरण विशेषज्ञों से इस परियोजना पर

जिला कलेक्टर
टोंक

राय ली गई थी? क्या बिना अनुमति पहाड़ कटाई अथवा निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था? यदि हाँ, तो संबंधित संस्था ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? क्या इस संबंध में कोई नोटिस, एफआईआर अथवा कार्य रोकने का आदेश जारी किया गया? क्या जिला प्रशासन ने राजमहल बोटूदा क्षेत्र में पानी आने की समस्या को लेकर वैकल्पिक पुल निर्माण पर विचार किया है क्या राजमहल एवं बोटूदा के बीच Hanging Bridge पुल निर्माण हेतु कोई सर्वे किया गया है? यदि वैकल्पिक स्थान उपलब्ध है, तो फिर संवेदनशील जंगल क्षेत्र में परियोजना क्यों प्रस्तावित की गई? वर्तमान में निर्माण कार्य रोका गया है अथवा जारी है? क्या जिला प्रशासन वन्यजीव संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा को देखते हुए परियोजना पर पुनर्विचार कर रहा है? अतः निवेदन है कि जनहित, वन्यजीव संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूर्ण एवं सत्य सूचना उपलब्ध करवाई जाए।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र क्रमांक 1145 दिनांक 19.05.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 179 दिनांक 25.05.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां प्रश्नात्मक एवं भिन्न लोक सूचना अधिकारियों से संबंधित होने के कारण प्रार्थना पत्र ऑनलाईन आवटवार्ड नं. 5144616512 दिनांक 13.05.2026 से खारिज किया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक
टोंक